जेपीआर 5–292

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्र0जेपीडी / उमुअ(सीपीएण्डआरई) / अधी.अभि.(वाणिज्य) / एफ.4(251)पार्ट– III / प्रे0 1726
जयपुर, दिनांक सितम्बर,12, 2005

आदेश

विषय – कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं से तदर्थ आधार पर बिलों का भुगतान स्वीकार करने के बारे में।

अकाल की परिस्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सामान्य श्रेणी मीटर्ड के (कोड–4000) व सामान्य श्रेणी फ्लेट रेट (कोड–4100) के कृषि उपभोक्ताओं से तदर्थ आधार पर बिजली के बिल पुरानी दरों पर (टेरिफ 2001 के अनुसार) ही जमा कराये जा सकेंगे। तदानुसार इस श्रेणी के बिल हालांकि नई दरों पर जारी किये जा रहे हैं किन्तु किसानों से नई दरों पर बिलों के भुगतान के लिए जोर नहीं दिया जाये एवं बिजली के बिलों का भुगतान पुरानी दरों पर ही स्वीकार किये जायें।

उपरोक्त व्यवस्था बिलिंग माह जून, 2005 से जारी बिलों की बकाया राशि पर भी लागू होगी तथा ऐसे पूर्व में जारी बिलों की पुरानी दर की राशि की गणना उपखण्ड स्तर पर की जाकर बिल का भुगतान पुरानी दर पर स्वीकार किया जाये। बिलों के लेखांकन (अकांउटिंग) के बारे में दिशा निर्देश मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर द्वारा अलग से जारी किये जा रहे हैं। यह व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

आदेशानुसार

12/9/05

(बी0 एल0 अग्रवाल)
उप मुख्य अभियन्ता(सीपीएण्डआरई)

my documents/Letters of CE(Comml.)